कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 5579/37 /2018–19, रामनगर, दिनांक, मार्च 15 ,2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड, चन्दौली।

विषय : जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम बाघी में हरिजन बस्ती रामसकल साहनी के घर से दुर्गा मन्दिर रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य हेतु 0.072 है0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : 1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन का पत्र संख्या–पी–4104/14–2–2019–800 (1)/2019 दिनांक : 11.03.2019

2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक : 1781/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/29075/2017, दिनांक : 12.03.2019

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र संख्या–1 जो आपको भी पृष्ठांकित है के द्वारा जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम बाघी में हरिजन बस्ती रामसकल साहनी के घर से दुर्गा मन्दिर रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य हेतु 0.072 है0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है –

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 2002/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक : 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य, एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौध रोपण, निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory afforestation fund managment and planning authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि मु0 147309.00 (रु0 एक लाख सैंतालिस हजार तीन सौ नौ) मात्र की धनराशि आन लाइन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से जमा की जानी है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन हेतु प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ रेंज द्वारा प्रेषित प्राक्कलन के अनुसार मु0 167450.00 (रु0 एक लाख सड़सठ हजार चार सौ पचास मात्र) की धनराशि आन लाइन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य मु0 57816.00 (सत्तावन हजार आठ सौ सोलह) मात्र एवं दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौध रोपण, निधि

क्रमशः...............2

प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा ही वांछित धनराशि जमा की जायेगी।

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जानी है, उक्त हेतु मक डिस्पोजल योजना बनाकर स्वीकृत कराते हुए वांछित धनराशि आपके द्वारा जमा की जानी है।

अतः वांछित धनराशि अलग–अलग मदवार आनलाइन ई–पेमेण्ट पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान द्वारा ही जमा की जायेगी, उक्त के इतर जमा की गई धनराशि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगें। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष पत्र में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों का अनुपालन कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।